

निर्णय लोक अदालत न्याय आपके द्वार

श्री के.आर.चौहान सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी(RAS) देवगढ़

केम्प पारड़ी

प्र.सं 15/2018 प्रार्थना पत्र

निर्णय दिनांक 15.05.2018

अनवान

1. श्री नारायण पिता छोगा बलाई नि. नान्दवा तह. देवगढ़
2. श्री बाबु पिता छोगा बलाई नि. नान्दवा तह. देवगढ़

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री गोरधनलाल पिता भूरा बलाई नि. नान्दवा तह. देवगढ़
2. श्री भैरूलाल पिता उदा बलाई नि. नान्दवा तह. देवगढ़

.....विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 111,128 राज. ले. रे. एक्ट

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत हुआ की ग्राम मोजा नान्दवा पटवार हल्का पारडी तहसील देवगढ़ में प्रार्थीगण के स्वामित्व आधिपत्य व खातेदारी कब्जे की भूमि स्थित हैं जिसके आराजी नम्बर 24 रकबा 0.13 कुल किता 1 रकबा 0.13 बीघा भूमि हैं। उक्त वर्णित कुलिया आराजीयात पर प्रार्थी का निर्बाध रूप से काश्त करते आ रहे हैं किन्तु प्रार्थी की उक्त वर्णित भूमि के चारों तरफ पत्थर की पक्की बाउण्डी अथवा सीमा चिन्ह नहीं होने से विपक्षी जो प्रार्थी की उक्त वर्णित भूमि के सीमा से मिलते हुए पड़ोसी हैं, हर समय फसल बुवाई तथा कटाई के सीमा सम्बन्धित विवाद करते रहते हैं जिससे प्रार्थी को अनावश्यक मुकदमें बाजी के लिये विवश होना पड़ता हैं। मौके पर अशांति कायम रहती हैं। जिससे प्रार्थी उसकी भूमिका शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग काश्त वगैरह नहीं कर पा रहे हैं यदि प्रार्थी की उक्त वर्णित भूमि की बादनपती पत्थरगढी हो जाती है तो इस समस्या का हमेशा हमेशा के लिए समाधान हो जाएगा तथा प्रार्थी उकसी भूमिका का शान्तिपूर्वक काश्त उपयोग उपभोग वगैरह कर सकेगा। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जा कर प्रार्थी की उक्त वर्णित खातेदारी भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।


प्रार्थी का प्रार्थना दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को मय नकल प्रार्थना पत्र के सम्मन जारी किये गये। प्रत्युतर में विपक्षी सं. 2 उपस्थित होकर प्रार्थी की भूमि की पत्थरगढी किये जाने पर सहमति होकर कोई आपति नहीं होना बताया व बाकी

विपक्षी को सम्मन जारी हो जाने पर विपक्षी सं. 1 अनुपस्थित रहा वकील प्रार्थी ने विपक्षी सं. 1 के विरुद्ध को कारवाई नहीं करने बाबत निवेदन किया जिस पर विपक्षी सं. 1 के विरुद्ध कारवाई ड्रॉप की गई। उक्त वर्णित भूमि के चारों तरफ पत्थर की बाउण्ड्री अथवा स्थाई सीमा चिन्ह नहीं हैं जिससे विपक्षी जो प्रार्थी की भूमि से मिलते हुए पड़ोसी है हर समय फसल बुवाई व कटाई के प्रार्थीगण की सीमा में प्रवेश कर जाते हैं। कभी प्रार्थीगण की भूमि को हांक लेते है कभी घास फसल काट लेते हैं यदि प्रार्थी की उक्त वर्णित भूमि की बादनपती पत्थरगढी हो जाती हैं तो इस समस्या का स्थाई समाधान हो जायेगा।

हमने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र नकल जमाबन्दी एवं पत्रावली में संलग्न अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया। ग्राम नान्दवा पटवार हल्का पारडी तहसील देवगढ की नकल जमाबंदी सं. 2069 से 2072 में प्रार्थी उक्त वर्णित भूमि के खातेदार हैं। खातेदार उसके खाते की भूमि की पत्थरगढी करा सकता हैं।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता हैं तथा ग्राम नान्दवा पटवार हल्का पारडी तहसील देवगढ में स्थित प्रार्थी की आराजी नम्बर 24 रकबा 0.13 कुल किता 1 रकबा 0.13 बीघा भूमि की पत्थरगढी के आदेश दिये जाते हैं। पालना हेतु तहसीलदार देवगढ को लिखा जावे की प्रार्थीगण से नियमानुसार पत्थरगढी शुल्क जमा करा पक्षकारान को सूचित करा मौके पर पत्थरगढी की जाकर रिपोर्ट पेश करें।

निर्णय आज दिनांक 15.05.2018 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार डैम्प पारडी में सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावें।


सहायक लेकलक्टर
देवगढ जिला राजसमंद